डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम. पी. डब्ल्यू-पी/505/98

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन एम. पी. 2/पी-122/98

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 192] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 23 अप्रैल 1998—वैशाख 3, शक 1920

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 1998

फा. क्र. 1-2-93-आ. प्र.-एक.—मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा-13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

अध्याय-एक—प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998 है.

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994).

(ख) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची,

(ग) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा.

अध्याय-दो नियुक्तियों का रोस्टर रखा जाना, अर्ध वार्षिकी रिपोर्ट की प्रस्तुति तथा संपर्क अधिकारी की नियुक्ति

3. **रोस्टर का रखा जाना.**—रोस्टर, धारा-4 की उपधारा (2) के खण्ड (तीन) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, नीचे विनिर्दिष्ट की गई रीति में रखा जाएगा:—

(1) राज्य, संभाग और जिला स्तर पर सीधी भरती के लिए प्रत्येक प्रवर्ग के पद के लिये पृथक्-पृथक् 100 विन्दु रोस्टर रखा जायेगा. इन रोस्टरों को प्रत्येक नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा अनुसूची एक, दो और तीन के अनुसार रखा जायेगा जैसे कि भरती के प्रत्येक स्तर के लिये सुसंगत हो.

(2) उन अस्थायी पदों के लिये, जिनकी दो मास के अधिक अवधि के लिये जारी रहने की संभावना है, यथास्थिति अनुसूची एक, दो तथा तीन में स्थान विनिर्दिष्ट प्ररूप में पृथक् रोस्टर रखा जायेगा. प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी अपने कार्यालय में एक रजिस्टर भी रखेगा, जिसमें प्रवर्ग वार प्रत्येक वर्ष की, की गई नियुक्तियां दर्शित की जाएगी.

(3) रोस्टर में जो बिन्दु जिस वर्ग के लिये निर्धारित किया गया है, नियुक्त किये गये व्यक्ति का नाम इस श्रेणी के लिए विनिर्दिष्ट बिन्दु के सामने कालम में प्रविष्ट किया जायेगा और रोस्टर का न भरा गया बिन्दु रिक्त रखा जाएगा और ऐसी रिक्ति को केवल उस प्रवर्ग के व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा ही की जावेगी.

4. **रिक्तियों को सूचित किया जाना एवं विज्ञापन का प्रकाशन.**—लोक सेवाओं और पदों में उद्भूत होने वाली रिक्तियों में नियुक्ति के लिए चयन हेतु सुसंगत भरती नियमों के अनुसार लोक सेवा आयोग को तथा अन्य पदों के लिए रोजगार कार्यालय को मांग पत्र भेजा जाएगा और विज्ञापन भी प्रसारित किया जाएगा.

5. **नियुक्ति/पदोन्नति के आदेश में प्रमाणीकरण.**—नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक नियुक्ति आदेश के नीचे यह प्रमाणित किया जाएगा कि उपर्युक्त पदों के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबन्धों और इसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन किया गया है.

6. **अर्ध वार्षिक रिपोर्टस् का प्रस्तुत किया जाना.**—धारा-15 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की गई नियुक्तियों की अर्ध वार्षिकी रिपोर्ट निम्नलिखित रीति तथा इसके अधीन उपदर्शित प्रारूप में प्रस्तुत की जाएगी:—

(क) प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की गई नियुक्तियों को अर्ध वार्षिक रिपोर्ट जनवरी से जून तक की कालावधि के लिए अगस्त मास में तथा जुलाई से दिसम्बर तक की कालावधि के लिए फरवरी मास में अनुसूची चार-क के विवरण के प्ररूप में संबंधित विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी. नियुक्तियों की ऐसी ही अर्ध वार्षिकी रिपोर्टस प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संभागीय स्तर पर की गई भर्ती के संबंध में संभागीय आयुक्त को तथा जिला स्तर पर की गई भर्ती के संबंध में, कलेक्टर को भेजी जायेगी.

(ख) प्रत्येक प्राधिकारी द्वारा की गई पदोन्नतियों की अर्ध वार्षिकी रिपोर्ट जनवरी से जून तक की कालावधि के लिए अगस्त मास में तथा जुलाई से दिसम्बर तक की कालावधि-के-लिए फरवरी माह में अनुसूची चार-ख में के विवरण के प्रारूप में संबंधित विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी. पदोन्नतियों की ऐसी ही अर्ध वार्षिकी रिपोर्ट प्रत्येक प्राधिकारी द्वारा संभागीय स्तर पर की पदोन्नतियों के संबंध में संभागीय आयुक्त को तथा जिला स्तर पर की पदोन्नतियों के संबंध में कलेक्टर को भेजी जायेगी.

(ग) शासन के विभाग का सचिव अपने नियंत्रणाधीन समस्त कार्यालयों के संबंध में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को प्रत्येक वर्ष की मार्च तथा सितम्बर मास में अनुसूची-चार-क तथा चार-ख में एक समेकित विवरण भेजेगा. उसी प्रकार संभागीय आयुक्त तथा कलेक्टर भी क्रमश: संभागीय स्तर तथा जिला स्तर पर, की गई भर्ती और पदोन्नति के संबंध में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को प्रत्येक वर्ष की फरवरी तथा अगस्त मास में अनुसूची चार-क तथा चार-ख में एक समेकित विवरण भेजेगा.

7. **संभाग तथा जिला स्तर पर प्रकोष्ठ की स्थापना.**—प्रत्येक जिले के लिये तथा प्रत्येक संभाग के लिए तृतीय वर्ग तथा चतुर्थ वर्ग के प्रवर्गों में आरक्षण तथा भर्ती और पदोन्नति के संबंध में जानकारी मॉनीटर तथा संकलित की जायेगी. जिले का कलेक्टर समस्त जिला स्तर पर नियुक्ति प्राधिकारियों से ऐसी जानकारी अभिप्राप्त करने तथा रखने के लिए उत्तरदायी होगा, तथा संभागीय आयुक्त, समस्त संभागीय स्तर के नियुक्ति प्राधिकारियों से ऐसी जानकारी अभिप्राप्त करने तथा रखने के लिये उत्तरदायी होगा. इस प्रयोजन के लिए संभागीय आयुक्त तथा कलेक्टर के कार्यालय में अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रकोष्ठ स्थापित किया जायेगा.

8. **संपर्क अधिकारी की नियुक्ति.**—(1) राज्य सरकार के अधीन प्रत्येक विभाग में, स्थापना का प्रभारी उपसचिव तथा अन्य स्थापनाओं के संबंध में ऐसा अधिकारी, जो प्रथम श्रेणी अधिकारी से निम्न पद श्रेणी का न हो, जो स्थापना संबंधी मामलों तथा नियुक्तियों का पर्यवेक्षण तथा निपटारा करता हो, उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन की सभी स्थापनाओं तथा सेवाओं में अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करेगा.

(2) प्रत्येक विभागाध्यक्ष या कार्यालय प्रमुख अपनी स्थापना के संबंध में संपर्क अधिकारी का नाम तथा पदनाम शासन के संबंधित विभाग के सचिव को सूचित करेगा :

परन्तु किसी परिवर्तन की दशा में विभागाध्यक्ष या कार्यालय प्रमुख संपर्क अधिकारी का नाम या पदनाम ऐसे परिवर्तन होने के एक मास के भीतर विभाग के संबंधित सचिव को सूचित करेगा. यदि ऐसा परिवर्तन विभाग स्तर पर किया जाता है तो विभाग का सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को सूचित करेगा.

9. **संपर्क अधिकारी के कृत्य.**—सम्पर्क अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि—

(एक) अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों, यदि कोई हो, द्वारा अधिनियम तथा इन नियमों के उपबंधों का सम्यक् अनुपालन,

(दो) प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित किये गये अनुसार प्रस्तुत अर्धवार्षिकी रिपोर्ट को,

(तीन) स्थापना में या उसके अधीन समस्त कार्यालयों तथा सेवाओं के संबंध में अर्ध वार्षिकी विवरणों की संवीक्षा करना तथा समेकित करने और समेकित रिपोर्ट को, यथा समय संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत करना,

(चार) अपने स्वयं के कार्यालय के साथ ही स्थापना के नियंत्रणाधीन कार्यालयों में रखे गये रोस्टर तथा रजिस्टरों के नियमित निरीक्षण,

(पांच) अधिनियम तथा नियमों के कार्यान्वयन संबंधित समस्त मामलों में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग से उचित संपर्क बनाए रखना,

(छः) विभाग के अधीन विभाग और कार्यालयों में की गई समस्त नियुक्तियों का रजिस्टर बनाए रखेगा और इसकी मांग करने पर सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुत करेगा,

(सात) नियुक्तियों और पदोन्नति में कोई अनियमितता पाई जाने पर विभाग के सचिव और सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को सूचित करेगा,

(आठ) शासन द्वारा दिये गए अन्य निर्देशों का पालन.

अध्याय-तीन—अभिलेखों तथा दस्तावेजों का निरीक्षण

10. **अभिलेखों तथा दस्तावेजों की परीक्षा के लिए प्राधिकृत अधिकारी.**—धारा-15 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अधिकारी राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा रखे गए अभिलेखों तथा दस्तावेजों की परीक्षा करने के लिये उन क्षेत्रों में स्थित प्राधिकृत अधिकारी होंगे, जो प्रत्येक के सामने वर्णित है, अर्थात् :—

	अधिकारी का पदनाम	**क्षेत्र**
1.	प्रमुख सचिव या सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	संपूर्ण राज्य
2.	प्रमुख सचिव या सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग	संपूर्ण राज्य
3.	प्रमुख सचिव या सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	संपूर्ण राज्य
4.	प्रमुख सचिव या सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	संपूर्ण राज्य
5.	आयुक्त, आदिवासी विकास	संपूर्ण राज्य
6.	संचालक, अनुसूचित जाति कल्याण	संपूर्ण राज्य
7.	संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण	संपूर्ण राज्य
8.	संभागीय आयुक्त	संपूर्ण राज्य
9.	सभी कलेक्टर	अपने पदस्थापना के संभाग में
10.	अन्य कोई अधिकारी, जो उप सचिव से निम्न पद श्रेणी का न हो, जिसे इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किया जाये.	अपने पदस्थापना के जिले में संपूर्ण राज्य

अनुसूची—एक

(नियम 3 देखिये)

प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी

अनु. जाति 15% जनजाति 18% अन्य पिछड़ा वर्ग 14%

रोस्टर का बिन्दु (1)	अनारक्षित है अथवा आरक्षित (2)	नियुक्ति किए गए व्यक्ति का नाम एवं नियुक्ति तिथि (3)	क्या वह अनु. जा./जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य है. (4)	रोस्टर का बिन्दु (1)	अनारक्षित है अथवा आरक्षित (2)	नियुक्ति किए गए व्यक्ति का नाम एवं नियुक्ति तिथि (3)	क्या वह अनु. जा./जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य है. (4)
1.	अनुसूचित जनजाति			14.	अनारक्षित		
2.	अनारक्षित			15.	अन्य पिछड़ा वर्ग		
3.	अनारक्षित			16.	अनु. जाति		
4.	अनु. जाति			17.	अनारक्षित		
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग			18.	अनारक्षित		
6.	अनारक्षित			19.	अनु. जनजाति		
7.	अनु. जनजाति			20.	अनारक्षित		
8.	अनारक्षित			21.	अनारक्षित		
9.	अनारक्षित			22.	अनु. जनजाति		
10.	अनु. जाति			23.	अनारक्षित		
11.	अनारक्षित			24.	अन्य पिछड़ा वर्ग		
12.	अनारक्षित			25.	अनु. जाति		
13.	अनु. जनजाति			26.	अनारक्षित		
				27.	अनारक्षित		

रोस्टर का बिन्दु (1)	अनारक्षित है अथवा आरक्षित (2)	नियुक्ति किए गए व्यक्ति का नाम एवं नियुक्ति (3)	क्या वह अनु. जा./जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य है. (4)
28.	अनु. जनजाति		
29.	अनारक्षित		
30.	अन्य पिछड़ा वर्ग		
31.	अनु. जाति		
32.	अनारक्षित		
33.	अनारक्षित		
34.	अनारक्षित		
35.	अन्य पिछड़ा वर्ग		
36.	अनु. जनजाति		
37.	अनारक्षित		
38.	अनु. जाति		
39.	अनारक्षित		
40.	अनारक्षित		
41.	अनु. जनजाति		
42.	अनारक्षित		
43.	अन्य पिछड़ा वर्ग		
44.	अनु. जाति		
45.	अनारक्षित		
46.	अनारक्षित		
47.	अनु. जनजाति		
48.	अनारक्षित		
49.	अन्य पिछड़ा वर्ग		
50.	अनु. जाति		
51.	अनारक्षित		
52.	अनारक्षित		
53.	अनु. जनजाति		
54.	अनारक्षित		
55.	अन्य पिछड़ा वर्ग		
56.	अनु. जाति		
57.	अनारक्षित		
58.	अनारक्षित		
59.	अनु. जनजाति		
60.	अनारक्षित		
61.	अनारक्षित		
62.	अनु. जनजाति		
63.	अनारक्षित		
64.	अन्य पिछड़ा वर्ग		
65.	अनु. जाति		
66.	अनारक्षित		
67.	अनारक्षित		
68.	अनु. जनजाति		
69.	अनारक्षित		
70.	अनारक्षित		
71.	अनु. जाति		
72.	अनारक्षित		
73.	अनारक्षित		
74.	अनारक्षित		
75.	अन्य पिछड़ा वर्ग		
76.	अनु. जनजाति		
77.	अनारक्षित		
78.	अनु. जाति		
79.	अनारक्षित		
80.	अन्य पिछड़ा वर्ग		
81.	अनु. जनजाति		
82.	अनारक्षित		
83.	अनारक्षित		
84.	अनु. जाति		
85.	अनारक्षित		
86.	अन्य पिछड़ा वर्ग		
87.	अनु. जनजाति		
88.	अनारक्षित		
89.	अनारक्षित		
90.	अनु. जाति		
91.	अनारक्षित		
92.	अन्य पिछड़ावर्ग		
93.	अनु. जनजाति		
94.	अनारक्षित		
95.	अनारक्षित		
96.	अनु. जाति		
97.	अनारक्षित		
98.	अनारक्षित		
99.	अनु. जनजाति		
100.	अन्य पिछड़ा वर्ग		

अनुसूची-दो

(नियम 3 देखिये)

	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी	
अनु. जाति	जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
16	20	14

रोस्टर का बिन्दु (1)	अनारक्षित है अथवा आरक्षित (2)	नियुक्ति किए गए व्यक्ति का नाम एवं नियुक्ति तिथि (3)	क्या वह अनु. जा./जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य है. (4)	रोस्टर का बिन्दु (1)	अनारक्षित है अथवा आरक्षित (2)	नियुक्ति किए गए व्यक्ति का नाम एवं नियुक्ति तिथि (3)	क्या वह अनु. जा./जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य है. (4)
1.	अनु. जनजाति			51.	अनु. जनजाति		
2.	अनारक्षित			52.	अनारक्षित		
3.	अनारक्षित			53.	अनारक्षित		
4.	अनु. जाति			54.	अनारक्षित		
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग			55.	अन्य पिछड़ा वर्ग		
6.	अनु. जनजाति			56.	अनु. जनजाति		
7.	अनारक्षित			57.	अनु. जाति		
8.	अनारक्षित			58.	अनारक्षित		
9.	अनारक्षित			59.	अनारक्षित		
10.	अनु. जाति			60.	अनु. जाति		
11.	अनु. जनजाति			61.	अनु. जनजाति		
12.	अनारक्षित			62.	अनारक्षित		
13.	अनारक्षित			63.	अनु. जाति		
14.	अनारक्षित			64.	अन्य पिछड़ा वर्ग		
15.	अन्य पिछड़ा वर्ग			65.	अनारक्षित		
16.	अनु. जनजाति			66.	अनु. जनजाति		
17.	अनु. जाति			67.	अनारक्षित		
18.	अनारक्षित			68.	अनारक्षित		
19.	अनारक्षित			69.	अनु. जाति		
20.	अनारक्षित			70.	अनारक्षित		
21.	अनु. जनजाति			71.	अनु. जनजाति		
22.	अनारक्षित			72.	अनारक्षित		
23.	अनु. जाति			73.	अनारक्षित		
24.	अन्य पिछड़ा वर्ग			74.	अनारक्षित		
25.	अनारक्षित			75.	अन्य पिछड़ा वर्ग		
26.	अनु. जनजाति			76.	अनु. जनजाति		
27.	अनारक्षित			77.	अनु.जाति		
28.	अनारक्षित			78.	अनारक्षित		
29.	अनु. जाति			79.	अनारक्षित		
30.	अन्य पिछड़ा वर्ग			80.	अन्य पिछड़ा वर्ग		
31.	अनु. जनजाति			81.	अनु. जनजाति		
32.	अनारक्षित			82.	अनारक्षित		
33.	अनारक्षित			83.	अनारक्षित		
34.	अनारक्षित			84.	अनु. जाति		
35.	अन्य पिछड़ा वर्ग			85.	अनारक्षित		
36.	अनु. जनजाति			86.	अनु. जनजाति		
37.	अनु. जाति			87.	अन्य पिछड़ा वर्ग		
38.	अनारक्षित			88.	अनारक्षित		
39.	अनारक्षित			89.	अनारक्षित		
40.	अनारक्षित			90.	अनु. जाति		
41.	अनु. जनजाति			91.	अनु. जनजाति		
42.	अनारक्षित			92.	अन्य पिछड़ावर्ग		
43.	अन्य पिछड़ा वर्ग			93.	अनारक्षित		
44.	अनु. जाति			94.	अनारक्षित		
45.	अनारक्षित			95.	अनारक्षित		
46.	अनु.जनजाति			96.	अनु. जनजाति		
47.	अनारक्षित			97.	अनु. जाति		
48.	अनारक्षित			98.	अनारक्षित		
49.	अन्य पिछड़ा वर्ग			99.	अनारक्षित		
50.	अनु. जाति			100.	अन्य पिछड़ा वर्ग		

अनुसूची-तीन
(नियम 3 देखिये)

क्रमांक	संभाग/जिलों का नाम अनु. जा., अनु. ज. जा. तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण प्रतिशत	वर्ग	100 बिन्दु क्र. रोस्टर में अनु. जा., अनु. ज. जा. तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित बिन्दु
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग 16 एस. सी./20 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	4, 10,17,23, 29, 37, 44, 50, 57, 60, 63, 69, 77, 84, 90, 97.
		एस. टी.	1, 6, 11,16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76, 81, 86, 91, 96.
		ओ. बी. सी.	5, 15, 24, 30, 35, 43, 49, 55, 64, 75, 80, 87, 92, 100.
2.	ग्वालियर तथा उज्जैन संभाग 19 एस. सी./17 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	2, 7, 12, 17, 23, 28, 33, 38, 44, 49, 53, 57, 62, 67, 73, 78, 83, 88, 95.
		एस. टी.	1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 52, 58, 65, 72, 79, 84, 89, 94, 99.
		ओ. बी. सी.	4, 16, 24, 30, 35, 42, 48, 54, 66, 74, 80, 85, 92, 98.
3.	जबलपुर संभाग 9 एस. सी./27 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	3, 20, 29, 45, 53, 70, 77, 87, 96.
		एस. टी.	1, 4, 8, 11, 14, 18, 22, 26, 31, 35, 37, 40, 44, 48, 51, 54, 58, 60, 64, 68, 72, 76, 82, 85, 89, 92, 98.
		ओ. बी. सी.	5, 15, 23, 28, 33, 43, 49, 55, 65, 73, 79, 86, 93, 97.
4.	रायपुर संभाग 10 एस. सी./26 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	10, 19, 28, 38, 48, 60, 69, 78, 88, 98.
		एस. टी.	1, 6, 11, 16, 20, 24, 26, 29, 32, 36, 40, 44, 49, 51, 56, 61, 66, 70, 74, 76, 79, 82, 86, 90, 94, 99.
		ओ. बी. सी.	4, 15, 23, 30, 35, 42, 47, 54, 65, 73, 80, 85, 92, 100.
5.	इन्दौर संभाग 14 एस. सी./22 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	3, 9, 17, 24, 28, 35, 41, 53, 59, 67, 74, 78, 85, 91.
		एस. टी.	1, 6, 11, 16, 21, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76, 80, 84, 88, 92, 96.
		ओ. बी. सी.	4, 15, 23, 29, 33, 43, 48, 54, 65, 73, 79, 86, 93, 98.
6.	चम्बल संभाग 21 एस. सी./15 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	5, 8, 11, 19, 25, 28, 33, 39, 46, 50, 55, 58, 61, 69, 75, 78, 83, 89, 91, 96, 100.
		एस. टी.	1, 14, 24, 30, 36, 43, 49, 51, 57, 64, 74, 80, 93, 99.
		ओ. बी. सी.	4, 15, 23, 29, 35, 42, 48, 54, 65, 73, 79, 85, 92, 98.

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	सागर संभाग 20 एस. सी./16 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी. एस. टी. ओ. बी. सी.	2, 8, 13, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 50, 54, 59, 64, 69, 75, 79, 84, 89, 94, 99. 1, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 62, 68, 74, 80, 86, 92, 98. 4, 15, 23, 30, 36, 41, 48, 53, 65, 73, 78, 85, 93, 100.
8.	बिलासपुर संभाग 12 एस. सी./35 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी. एस. टी. ओ. बी. सी.	8, 16, 24, 32, 39, 49, 56, 64, 73, 80, 88, 97. 1, 5, 9, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 26, 30, 34, 37, 40, 43, 46 48, 50, 51, 55, 59, 62, 65, 67, 70, 72, 75, 76, 81, 85, 89, 91, 93, 96, 99. 4, 14, 23, 31, 35, 42, 47, 54, 60, 74, 78, 87, 93, 98.
9.	रीवा संभाग 10 एस. सी./27 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी. एस. टी. ओ. बी. सी.	10, 19, 29, 38, 49, 60, 69, 78, 89, 100. 1, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 35, 39, 43, 46, 50, 51, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 79, 82, 86, 90, 94, 99. 5, 14, 23, 32, 34, 42, 47, 55, 61, 73, 77, 87, 92, 98.
10.	जिला इन्दौर, खण्डवा, मन्दसौर, रतलाम, जबलपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट भोपाल, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रीवा, सतना, होशंगाबाद, 16 एस. सी./20 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी. एस. टी. ओ. बी. सी.	4, 10, 17, 23, 29, 37, 44, 50, 57, 60, 63, 69, 77, 84, 90, 97. 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61. 66, 71, 76, 81, 86, 91, 96. 5, 15, 24, 30, 35, 43, 49, 55, 64, 75, 80, 87, 92, 100.
11.	जिला देवास, गुना, दतिया, राजगढ़ 18 एस. सी./18 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी. एस. टी. ओ. बी. सी.	5, 11, 17, 24, 30, 36, 40, 42, 48, 55, 61, 67, 74, 80, 86, 90, 92, 98. 1, 7, 14, 20, 27, 33, 39, 45, 50, 52, 57, 64, 70, 77, 83, 89, 95, 100. 4, 15, 23, 29, 35, 43, 49, 54, 65, 73, 79, 85, 93, 99.
12.	जिला उज्जैन, सागर 23 एस. सी./13 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी. एस. टी. ओ. बी. सी.	3, 7, 11, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 66, 70, 74, 78, 83, 88, 93, 98. 1, 9, 17, 26, 34, 42, 51, 59, 67, 76, 84, 92, 100. 4, 15, 23, 29, 35, 40, 48, 54, 65, 73, 79, 85, 91, 99.
13.	जिला विदिशा, शाजापुर 22 एस. सी./14 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी. एस. टी. ओ. बी. सी.	3, 7, 11, 16, 21, 26, 30, 34, 38, 43, 47, 52, 57, 61, 66, 71, 76, 80, 84, 88, 93, 97. 1, 9, 18, 27, 35, 42, 49, 51, 59, 68, 77, 85, 92, 99. 4, 15, 23, 29, 36, 41, 48, 54, 65, 73, 79, 83, 94, 98.
14.	जिला ग्वालियर 19 एस. सी./17 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी. एस. टी. ओ. बी. सी.	2, 7, 12, 17, 23, 28, 33, 38, 44, 49, 53, 57, 62, 67, 73, 78, 83, 88, 95. 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 52, 58, 65, 72, 79, 84, 89, 94, 99. 4, 16, 24, 30, 35, 42, 48, 54, 66, 74, 80, 85, 92, 98.

(1)	(2)	(3)	(4)
15.	जिला शिवपुरी, बिलासपुर, रायसेन, पन्ना 17 एस. सी./19 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	3, 8, 14, 20, 26, 33, 38, 44, 52, 58, 64, 70, 76, 83, 88, 94, 98.
		एस. टी.	1, 7, 13, 19, 25, 27, 32, 37, 42, 47, 51, 57, 63, 69, 75, 77, 82, 87, 92.
		ओ. बी. सी.	3, 15, 23, 29, 35, 41, 48, 54, 65, 73, 79, 85, 93, 99.
16.	जिला भिण्ड, मुरैना, दमोह, छतरपुर 21 एस. सी./15 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	5, 8, 11, 19, 25, 28, 33, 39, 46, 50, 55, 58, 61, 69, 75, 78, 83, 89, 91, 96, 100.
		एस. टी.	1, 14, 24, 30, 36, 43, 49, 51, 57, 64, 74, 80, 86, 93, 99.
		ओ. बी. सी.	4, 15, 23, 29, 35, 42, 48, 54, 65, 73, 79, 85, 92, 98.
17.	जिला सीहोर, टीकमगढ़ 20 एस. सी./16 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	2, 8, 13, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 50, 54, 59, 64, 69, 75, 79, 84, 89, 94, 99.
		एस. टी.	1, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 62, 68, 74, 80, 86, 92, 98.
		ओ. बी. सी.	4, 15, 23, 30, 36, 41, 48, 53, 65, 73, 78, 85, 93, 100.
18.	जिला सिवनी 7 एस. सी./37 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	15, 31, 46, 60, 74, 79, 99.
		एस. टी.	1, 4, 7, 11, 14, 17, 20, 22, 25, 27, 32, 34, 36, 38, 41, 44, 48, 50, 51, 54, 57, 61, 64, 67, 70, 72, 75, 77, 80 82, 84, 86, 88, 90, 92, 95, 98.
		ओ. बी. सी.	5, 16, 24, 29, 35, 42, 47, 56, 62, 73, 78, 87, 93, 100.
19.	जिला छिन्दवाड़ा 10 एस. सी./35 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	9, 20, 29, 38, 49, 59, 70, 79, 88, 99.
		एस. टी.	1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 30, 33, 36, 40, 42, 44, 47, 50, 53, 55, 58, 61, 64, 66, 68, 71, 74, 76, 80, 83, 86, 90, 94, 97, 100.
		ओ. बी. सी.	5, 15, 24, 31, 35, 43, 48, 56, 63, 75, 78, 87, 92, 98.
20.	जिला खरगोन, रायगढ़ 10 एस. सी./40 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	10, 20, 30, 40, 50, 60, 69, 80, 90, 100.
		एस. टी.	1, 5, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 29, 32, 34, 37, 39, 41, 44, 46, 49, 51, 55, 57, 59, 63, 64, 67, 70, 72, 74, 77, 79, 81, 84, 87, 89, 91, 94, 96, 99.
		ओ. बी. सी.	4, 15, 23, 31, 35, 42, 47, 54, 63, 73, 78, 88, 93, 98.
21.	जिला बैतूल 10 एस. सी./30 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	10, 19, 29, 39, 50, 60, 69, 79, 89, 100.
		एस. टी.	1, 5, 9, 12, 15, 20, 25, 28, 31, 33, 36, 40, 43, 46, 49, 51, 55, 59, 63, 65, 70, 75, 77, 80, 83, 86, 90, 93, 96, 99.
		ओ. बी. सी.	4, 14, 23, 32, 34, 43, 47, 54, 63, 73, 78, 87, 93, 98.
22.	जिला मण्डला, सरगुजा 5 एस. सी./45 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	20, 40, 60, 79, 99
		एस. टी.	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 39, 41, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57, 59, 61, 64, 66, 68, 70, 72 75, 77, 80, 82, 84, 86, 89, 91, 93, 95, 97, 100.
		ओ. बी. सी.	4, 17, 24, 29, 35, 42, 48, 56, 63, 73, 78, 85, 92, 98.

(1)	(2)	(3)	(4)
23.	जिला झाबुआ, बस्तर 3 एस. सी./47 एस. टी./14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	33, 67, 100.
		एस. टी.	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 94, 96, 99.
		ओ. बी. सी.	4, 17, 24, 29, 35, 42, 48, 56, 64, 73, 79, 86, 93, 98.
24.	जिला धार 7 एस. सी./43 एस. टी./14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	15, 31, 46, 59, 74, 88, 98.
		एस. टी.	1, 3, 5, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 38, 39, 42, 44, 47, 50, 51, 53, 55, 58, 60, 63, 65, 67, 69, 72, 75, 76, 78, 80, 84, 87, 89, 92, 94, 96, 99.
		ओ. बी. सी.	4, 17, 25, 29, 34, 41, 48, 56, 63, 73, 79, 86, 93, 100.
25.	जिला सीधी 10 एस. सी./34 एस. टी./14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	9, 19, 29, 39, 50, 59, 69, 79, 89, 100.
		एस. टी.	1, 4, 7, 10, 13, 16, 20, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 38, 41, 44, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 74, 76, 78, 80, 83, 85, 88, 91, 94, 98.
		ओ. बी. सी.	5, 14, 23, 32, 34, 42, 47, 55, 61, 73, 77, 87, 92, 99.
25.	जिला शहडोल 6 एस. सी./44 एस. टी./14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	20, 40, 50, 60, 79, 99.
		एस. टी.	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 39, 41, 43, 45, 48, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 66, 69, 71, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 89, 91, 93, 96, 100.
		ओ. बी. सी.	4, 14, 24, 31, 35, 42, 47, 56, 62, 73, 77, 87, 92, 98.

संकेत—

1. एस. सी.—अनुसूचित जाति
2. एस. टी.—अनुसूचित जनजाति
3. ओ. बी. सी.—अन्य पिछड़ा वर्ग

अनुसूची चार-अ

(नियम 6 "अ" तथा "ग" देखिये)

अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट कालावधि 1 जनवरी 19 से 30 जून 19 /1 जुलाई 19 से 31 दिसम्बर, 19.

प्रशासनिक विभाग/सार्वजनिक उपक्रम का नाम ....

संभाग/जिले का नाम ....

सीधी भरती

पदों का वर्ग	अधिसूचित रिक्तियों की संख्या	भरी गई रिक्तियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति आरक्षित रिक्तियों की संख्या			अनुसूचित जनजाति आरक्षित रिक्तियों की संख्या		
			अधि. कालम-2 में से	वास्तविक रूप से भरी गई कालम-3 में से	आगामी वर्ष के लिए अग्रणीत	अधिसूचित कालम-2 में से	वास्तविक रूप से भरी गई कालम-3 में से	आगामी वर्ष के लिए अग्रणीत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षित रिक्तियों की संख्या			टिप्पणी (कम पड़ने के लिए कारण यदि कोई हो)
अधिसूचित कालम-2 में से	वास्तविक रूप से भरी गई कालम-3 से	आगामी वर्ष के लिए अग्रणीत	
(10)	(11)	(12)	(13)

वर्ग-एक
वर्ग-दो
वर्ग-तीन
वर्ग-चार

अनुसूची-चार-ख
[नियम 6 (ख) तथा (ग) देखिये]

1. विभाग का नाम
2. कार्यालय का नाम तथा पता
3. नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का नाम तथा पदाविधान

अर्धवार्षिक रिपोर्ट कालावधि . . . . . .से . . . . . .
1 1 जनवरी, 19 . . . . . से जून, 19 . . . .
2. 1 जुलाई, 19 . . . . . से 31 दिसम्बर 19 . . .

पदोन्नति

पदों की श्रेणी	पिछले वर्षों के बैकलॉगों को मिलाकर वर्ष में उद्भूत होने वाली रिक्तियों की कुल संख्या	भरी गई रिक्तियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अग्रणीत की गई की रिक्तियों की संख्या		कम पड़ने के लिए कारण यदि कोई हो.
			आरक्षित रिक्तियों की संख्या (कालम-2 में से)	भरी गई रिक्तियों की संख्या (कालम-4 में से)	आरक्षित रिक्तियों की संख्या (कालम 2 में से)	भरी गई रिक्तियों की संख्या (कालम 6 में से)	अनु. जाति	अनु. जनजाति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
श्रेणी- एक									
श्रेणी-दो									
श्रेणी-तीन									
श्रेणी-चार									

नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर तथा पदनाम
टेलीफोन नं.
स्थान

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रेमचन्द्र मीना, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 1998

फ. क्र. 1-2-93-आ. प्र.-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना फ. क्र. 1-2-93-आ. प्र.-एक, दिनांक 23 अप्रैल 1998 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रेमचन्द्र मीना, अपर सचिव.

Bhopal, the 23rd April 1998

F. No. 1-2-93-R. C.-I.—In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), the State Government hereby makes, the following rules, namely:—

RULES

CHAPETER—I PRELIMINARY

1. Short Title.—These rules may be called the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Rules, 1998.

2. Definitions.— In these rules unless the context otherwise requires:—

(a) "Act" means the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994);

(b) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;

(c) "Section" means a Section of the Act.

CHAPTER—II

Maintenance of Roster submission of half yearly report and appointment of Liason Officer—

3. Maintenance of Roster.—There shall be maintained a Roster as required by clause (iii) of sub-section (2) of Section 4 of the Act in the manner specified below:—

(1) Separate 100 point roster for each categories of post at the stage of direct recruitment shall be maintained for State, Division and District level. These rosters shall be maintained by each appointing authority according to Schedule I, II and III as may be relevant for each level of appointment.

(2) Separate roster shall also be maintained in the form as specified in Sechedule I, II and III, as the case may be, for those temporary posts likely to be continued for more than two months. Each appointing authority shall keep a register in his office in which categorywise details of the appointments made for each year shall be shown.

(3) The name of the person appointed shall be entered in the column against the point specified for that class and unfilled point of roster shall be kept vacant and such vacancy shall be filled by appointing a person of that category only.

4. Intimation of vacancies and publication of advertisement.—For selection of appointment to the vacancies arising in public services and posts, a demand letter shall be sent to the Public Service Commission according to relevant recruitment rules and for other post to the Employment Exchange and an advertisement shall also be published.

5. Certification in the order of appointment/promotion.—Appointing Authority shall certify below every order of appointment to the effect that the provisions of Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon; Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 and the rules made there under have been complied with.

6. Submission of half yearly reports.—For the purpose of sub-section (1) of Section 15, the half yearly report on the appointments made by every appointing authority shall be furnished in the following manner and in the forms indicated hereunder:—

(a) A half yearly report of the appointments made by every appointing authority shall be submitted for the period from January to June in the month of August and from July to December in the month of February to

the concerning Head of the Department in the form of statement in Schedule IV-A. Such half yearly report of appointments shall also be sent to the Divisional Commissioner in respect of Divisional level recruitment and to the Collector in respect of district level recruitment by every appointing authority.

(b) A half yearly report of the Promotion made by every authority shall be submitted for the period from January to June in the month of August and from July to December in the month of February to the concerning Head of the Department in the form of statement in Schedule IV-B. Such half yearly report of Promotion shall also be sent to the Divisional Commissioner in respect of Divisional Level Promotion and to the Collector in respect of District level Promotion by every authority.

(c) The Secretary of the department in Government shall send to the State Government in the General Administration Department in the month of March and September of every year consolidated statement in Schedules IV- 'A' and IV - 'B' in respect of all offices under his control. Similarly Divisional Commissioners and Collectors shall also send to the State Government in the General Administration Department in the month of February and August of every year a consolidated statement in Schedules IV A and IV B in respect of all recruitment and promotion made at the divisional level and district level respectively.

7. Establishment of Cell at Divisional and District level.—For monitoring reservation and recruitment and promotion in the categories of Class—III and Class—IV posts for each district and for each division, the Collector of the district shall be responsible for obtaining and maintaining the information form all the District Level appointing authorities and the Divisional Commissioner shall be responsible for obtaining and maintaining the information from All Divisional level appointing authorities. A cell shall be established for this purpose in the Office of Divisional Commissioner and Collector to ensure compliance of the provisions of the Act and Rules.

8. Appointment of Liasion Officer.—(1) In every Department under the State Government the Deputy Secretary in charge of establishment and in other establishments and officer not below the rank of Class—I officer who supervises or deals with the establishment matters and appointments shall act as the Liasion Officer for the purposes of implementation of the provisions of the Act in all establishments and service under his administerative control.

(2) Every Head of the department of Head of office shall intimate the name and designation of the Liason Officer in respect of his establishment to the concerne ' Secretary of the department in Government:

Provided that in case of any change the Head of Department or Head of Office shall intimate to the concerned Secretary to the department the name and designation of the Liasion Officer within a month of such change . It such change is made in departmental level the Secretary of the Department shall intimate to the Secretary to Government in the General Administration Department.

9. Functions of Liasion Officer.—The Liasion Officer shall be responsible for ensuring:—

(i) due compliance by the sub-ordinate appointing authority, if any, of the provisions of the Act and these rules;

(ii) submission of the half yearly report as required under the Act by each appointing authority;

(iii) security and consolidation of the half yearly statements in respect of all officers and services in and under the establishment and timely submission of the consolidated report to the concerning authority;

(iv) reguler inspection of the roster and registers maintained in his own office as well as in the offices under the control of the establishment;

(v) maintenance of proper liasion within the State Government in the General Administration Department in all matters concerning the implementation of the Act and Rules;

(vi) maintenance of a register of all appointments made in Department/Offices under the department and produce to the General Administration Department, if asked for;

(vii) intimation to Departmental Secretary and Secretary, General Administration Department, if any irregularity in appointment and promotion is notice;

(viii) compliance of any other directions given by the Government.

CHAPTER—III

INSPECTION OF RECORDS AND DOCUMENTS

10. Officers authorised to examine records and documents.—For the purpose of sub-section (2) of Section-15, the following officers shall be the officers authorised by the State Government to examine records or documents maintained by the appointing authorities for implementation of the provisions of the Act, in offices located in areas mentioned against each namely:—

	Designation of Officer	Area
1.	Principal Secretary or Secretary, General Administration, Department.	Throughout the State
2.	Principal Sercetary or Secretary, Tribal Welfare Department.	—do—
3.	Principal Sercetary or Secretary, Scheduled Castes Welfare Department.	—do—
4.	Principal Sercetary or Secretary, Backward Classes Welfare Department.	—do—
5.	Commissioner, Tribal Development.	—do—
6.	Director, Scheduled Castes Welfare.	—do—
7.	Director, Backward Classes Welfare.	—do—
8.	Divisional Commissioners	In respective Division of posting.
9.	All Collectors	In respective District of posting.
10.	Any other officer not below the rank of Deputy Secretary who may be specially appointed by the Government of this purpose.	Throughout the State

अनुसूची-एक

(नियम 3 देखिये)

प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी

अनु. जाति 15% | जनजाति 18% | अन्य पिछड़ा वर्ग 14%

रोस्टर का बिन्दु (1)	अनारक्षित है अथवा आरक्षित (2)	नियुक्ति किए गए व्यक्ति का नाम एवं नियुक्ति तिथि (3)	क्या वह अनु. जा./जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य है. (4)
1.	अनु. जनजाति		
2.	अनारक्षित		
3.	अनारक्षित		
4.	अनु. जाति		
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग		
6.	अनारक्षित		
7.	अनु. जनजाति		
8.	अनारक्षित		
9.	अनारक्षित		
10.	अनु. जाति		
11.	अनारक्षित		
12.	अनारक्षित		
13.	अनु. जनजाति		
14.	अनारक्षित		
15.	अन्य पिछड़ा वर्ग		
16.	अनु. जाति		
17.	अनारक्षित		
18.	अनारक्षित		
19.	अनु. जनजाति		
20.	अनारक्षित		
21.	अनारक्षित		
22.	अनु. जनजाति		
23.	अनारक्षित		
24.	अन्य पिछड़ा वर्ग		
25.	अनु. जाति		
26.	अनारक्षित		
27.	अनारक्षित		
28.	अनु. जनजाति		
29.	अनारक्षित		
30.	अन्य पिछड़ा वर्ग		
31.	अनु. जाति		
32.	अनारक्षित		
33.	अनारक्षित		
34.	अनारक्षित		
35.	अन्य पिछड़ा वर्ग		
36.	अनु. जनजाति		
37.	अनारक्षित		
38.	अनु. जाति		
39.	अनारक्षित		
40.	अनारक्षित		
41.	अनु. जनजाति		
42.	अनारक्षित		
43.	अन्य पिछड़ा वर्ग		
44.	अनु. जाति		
45.	अनारक्षित		
46.	अनारक्षित		
47.	अनु. जनजाति		
48.	अनारक्षित		
49.	अन्य पिछड़ा वर्ग		
50.	अनु. जाति		
51.	अनारक्षित		
52.	अनारक्षित		
53.	अनु. जनजाति		
54.	अनारक्षित		
55.	अन्य पिछड़ा वर्ग		
56.	अनु. जाति		
57.	अनारक्षित		
58.	अनारक्षित		
59.	अनु. जनजाति		
60.	अनारक्षित		
61.	अनारक्षित		
62.	अनु. जनजाति		
63.	अनारक्षित		
64.	अन्य पिछड़ा वर्ग		
65.	अनु. जनजाति		
66.	अनारक्षित		

रोस्टर का विन्दु (1)	अनारक्षित है अथवा आरक्षित (2)	नियुक्ति किए गए व्यक्ति का नाम एवं नियुक्ति तिथि (3)	क्या वह अनु. जा./जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य है. (4)	रोस्टर का विन्दु (1)	अनारक्षित है अथवा आरक्षित (2)	नियुक्ति किए गए व्यक्ति का नाम एवं नियुक्ति तिथि (3)	क्या वह अनु. जा./जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य है. (4)
67.	अनारक्षित			84.	अनु. जाति		
68.	अनु. जनजाति			85.	अनारक्षित		
69.	अनारक्षित			86.	अन्य पिछड़ा वर्ग		
70.	अनारक्षित			87.	अनु. जनजाति		
71.	अनु. जाति			88.	अनारक्षित		
72.	अनारक्षित			89.	अनारक्षित		
73.	अनारक्षित			90.	अनु. जाति		
74.	अनारक्षित			91.	अनारक्षित		
75.	अन्य पिछड़ा वर्ग			92.	अन्य पिछड़ावर्ग		
76.	अनु. जनजाति			93.	अनु. जनजाति		
77.	अनारक्षित			94.	अनारक्षित		
78.	अनु. जाति			95.	अनारक्षित		
79.	अनारक्षित			96.	अनु. जाति		
80.	अन्य पिछड़ा वर्ग			97.	अनारक्षित		
81.	अनु. जनजाति			98.	अनारक्षित		
82.	अनारक्षित			99.	अनु. जनजाति		
83.	अनारक्षित			100.	अन्य पिछड़ा वर्ग		

अनुसूची-दो

(नियम 3 देखिये)

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी

अनु. जाति	जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
16	20	14

रोस्टर का विन्दु (1)	अनारक्षित है अथवा आरक्षित (2)	नियुक्ति किए गए व्यक्ति का नाम एवं नियुक्ति तिथि (3)	क्या वह अनु. जा./जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य है. (4)	रोस्टर का विन्दु (1)	अनारक्षित है अथवा आरक्षित (2)	नियुक्ति किए गए व्यक्ति कानाम एवं नियुक्ति तिथि (3)	क्या वह अनु. जा./जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य है. (4)
1.	अनु. जनजाति			12.	अनारक्षित		
2.	अनारक्षित			13.	अनारक्षित		
3.	अनारक्षित			14.	अनारक्षित		
4.	अनु. जाति			15.	अन्य पिछड़ा वर्ग		
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग			16.	अनु. जनजाति		
6.	अनु. जनजाति			17.	अनु. जाति		
7.	अनारक्षित			18.	अनारक्षित		
8.	अनारक्षित			19.	अनारक्षित		
9.	अनारक्षित			20.	अनारक्षित		
10.	अनु. जाति			21.	अनु. जनजाति		
11.	अनु. जनजाति			22.	अनारक्षित		

रोस्टर का बिन्दु (1)	अनारक्षित है अथवा आरक्षित (2)	नियुक्ति किए गए व्यक्ति का नाम एवं नियुक्ति तिथि (3)	क्या वह अनु. जा./जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य है. (4)	रोस्टर का बिन्दु (1)	अनारक्षित है अथवा आरक्षित (2)	नियुक्ति किए गए व्यक्ति का नाम एवं नियुक्ति तिथि (3)	क्या वह अनु. जा./जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य है (4)
23.	अनु. जाति			62.	अनारक्षित		
24.	अन्य पिछड़ा वर्ग			63.	अनु. जाति		
25.	अनारक्षित			64.	अन्य पिछड़ा वर्ग		
26.	अनु. जनजाति			65.	अनारक्षित		
27.	अनारक्षित			66.	अनु. जनजाति		
28.	अनारक्षित			67.	अनारक्षित		
29.	अनु. जाति			68.	अनारक्षित		
30.	अन्य पिछड़ा वर्ग			69.	अनु. जाति		
31.	अनु. जनजाति			70.	अनारक्षित		
32.	अनारक्षित			71.	अनु. जनजाति		
33.	अनारक्षित			72.	अनारक्षित		
34.	अनारक्षित			73.	अनारक्षित		
35.	अन्य पिछड़ा वर्ग			74.	अनारक्षित		
36.	अनु. जनजाति			75.	अन्य पिछड़ा वर्ग		
37.	अनु. जाति			76.	अनु. जनजाति		
38.	अनारक्षित			77.	अनु. जाति		
39.	अनारक्षित			78.	अनारक्षित		
40.	अनारक्षित			79.	अनारक्षित		
41.	अनु. जनजाति			80.	अन्य पिछड़ा वर्ग		
42.	अनारक्षित			81.	अनु. जनजाति		
43.	अन्य पिछड़ा वर्ग			82.	अनारक्षित		
44.	अनु. जाति			83.	अनारक्षित		
45.	अनारक्षित			84.	अनु. जाति		
46.	अनु. जनजाति			85.	अनारक्षित		
47.	अनारक्षित			86.	अनु. जनजाति		
48.	अनारक्षित			87.	अन्य पिछड़ा वर्ग		
49.	अन्य पिछड़ा वर्ग			88.	अनारक्षित		
50.	अनु. जाति			89.	अनारक्षित		
51.	अनु. जनजाति			90.	अनु. जाति		
52.	अनारक्षित			91.	अनु. जनजाति		
53.	अनारक्षित			92.	अन्य पिछड़ा वर्ग		
54.	अनारक्षित			93.	अनारक्षित		
55.	अन्य पिछड़ा वर्ग			94.	अनारक्षित		
56.	अनु. जनजाति			95.	अनारक्षित		
57.	अनु. जाति			96.	अनु. जनजाति		
58.	अनारक्षित			97.	अनु. जाति		
59.	अनारक्षित			98.	अनारक्षित		
60.	अनु. जाति			99.	अनारक्षित		
61.	अनु. जनजाति			100.	अन्य पिछड़ा वर्ग		

अनुसूची-तीन

(नियम 3 देखिये)

क्रमांक (1)	संभाग/जिला का नाम अनु. जा., अनु. ज. जा. तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण प्रतिशत (2)	वर्ग (3)	100 बिन्दु क्र. रोस्टर में अनु. जा., अनु. ज. जा. तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित बिन्दु (4)
1.	भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग 16 एस. सी./20 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	4, 10,17,23, 29, 37, 44, 50, 57, 60, 63, 69, 77, 84, 90, 97
		एस. टी.	1, 6, 11,16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76, 81, 86, 91, 96.
		ओ. बी. सी.	5, 15, 24, 30, 35, 43, 49, 55, 64, 75, 80, 87, 92, 100.
2.	ग्वालियर तथा उज्जैन संभाग 19 एस. सी./17 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	2, 7, 12, 17, 23, 28, 33, 38, 44, 49, 53, 57, 62, 67, 73, 78, 83, 88, 95.
		एस. टी.	1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 52, 58, 65, 72, 79, 84, 89, 94, 99.
		ओ. बी. सी.	4, 16, 24, 30, 35, 42, 48, 54, 66, 74, 80, 85, 92, 98.
3.	जबलपुर संभाग 9 एस. सी./27 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	3, 20, 29, 45, 53, 70, 77, 87, 96
		एस. टी.	1, 4, 8, 11, 14, 18, 22, 26, 31, 35, 37, 40, 44, 48, 51, 54, 58, 60, 64, 68, 72, 76, 82, 85, 89, 92, 98.
		ओ. बी. सी.	5, 15, 23, 28, 33, 43, 49, 55, 65, 73, 79, 86, 93, 97.
4.	रायपुर संभाग 10 एस. सी./26 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	10, 19, 28, 38, 48, 60, 69, 78, 88, 98.
		एस. टी.	1, 6, 11, 16, 20, 24, 26, 29, 32, 36, 40, 44, 49, 51, 56, 61, 66, 70, 74, 76, 79, 82, 86, 90, 94, 99.
		ओ. बी. सी.	4, 15, 23, 30, 35, 42, 47, 54, 65, 73, 80, 85, 92, 100.
5.	इन्दौर संभाग 14 एस. सी./22 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	3, 9, 17, 24, 28, 35, 41, 53, 59, 67, 74, 78, 85, 91.
		एस. टी.	1, 6, 11, 16, 21, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76, 80, 84, 88, 92, 96.
		ओ. बी. सी.	4, 15, 23, 29, 33, 43, 48, 54, 65, 73, 79, 86, 93, 98.
6.	चम्बल संभाग 21 एस. सी./15 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	5, 8, 11, 19, 25, 28, 33, 39, 46, 50, 55, 58, 61, 69, 75, 78, 83, 89, 91, 96, 100.
		एस. टी.	1, 14, 24, 30, 36, 43, 49, 51, 57, 64, 74, 80, 88, 93, 99.
		ओ. बी. सी.	4, 15, 23, 29, 35, 42, 48, 54, 65, 73, 79, 85, 92, 98.

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	सागर संभाग 20 एस. सी./16 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	2, 8, 13, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 50, 54, 59, 64, 69, 75, 79, 84, 89, 94, 99.
		एस. टी.	1, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 62, 68, 74, 80, 86, 92, 98.
		ओ. बी. सी.	4, 15, 23, 30, 36, 41, 48, 53, 65, 73, 78, 85, 93, 100.
8.	विलासपुर संभाग 12 एस. सी./35 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	8, 16, 24, 32, 39, 49, 56, 64, 73, 80, 88, 97.
		एस. टी.	1, 5, 9, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 26, 30, 34, 37, 40, 43, 46 48, 50, 51, 55, 59, 62, 65, 67, 70, 72, 75, 76, 81, 85, 89, 91, 93, 96, 99.
		ओ. बी. सी.	4, 14, 23, 31, 35, 42, 47, 54, 60, 74, 78, 87, 93, 98.
9.	रीवा संभाग 10 एस. सी./27 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	10, 19, 29, 38, 49, 60, 69, 78, 89, 100.
		एस. टी.	1, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 35, 39, 43, 46, 50, 51, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 79, 82, 86, 90, 94, 99.
		ओ. बी. सी.	5, 14, 23, 32, 34, 42, 47, 55, 61, 73, 77, 87, 92, 98.
10.	जिला इन्दौर, खण्डवा, मन्दसौर, रतलाम, जबलपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट भोपाल, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रीवा, सतना, होशंगाबाद, 16 एस. सी./20 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	4, 10, 17, 23, 29, 37, 44, 50, 57, 60, 63, 59, 77, 84, 90, 97.
		एस. टी.	1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76, 81, 86, 91, 96.
		ओ. बी. सी.	5, 15, 24, 30, 35, 43, 49, 55, 64, 75, 80 87, 92, 100.
11.	जिला देवास, गुना, दतिया, राजगढ 18 एस. सी./18 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	5, 11, 17, 24, 30, 36, 40, 42, 48, 55, 61, 67, 74, 80, 86, 90, 92, 98.
		एस. टी.	1, 7, 14, 20, 27, 33, 39, 45, 50, 52, 57, 64, 70, 77, 83, 89, 95, 100.
		ओ. बी. सी.	4, 15, 23, 29, 35, 43, 49, 54, 65, 73, 79, 85, 93, 99.
12.	जिला उज्जैन, सागर 23 एस. सी./13 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	3, 7, 11, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 66, 70, 74, 78, 83, 88, 93, 98.
		एस. टी.	1, 9, 17, 26, 34, 42, 51, 59, 67, 76, 84, 92, 100.
		ओ. बी. सी.	4, 15, 23, 29, 35, 40, 48, 54, 65, 73, 79, 85, 91, 99.
13.	जिला विदिशा, शाजापुर 22 एस. सी./14 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	3, 7, 11, 16, 21, 26, 30, 34, 38, 43, 47, 52, 57, 61, 66, 71, 76, 80, 84, 88, 93, 97.
		एस. टी.	1, 9, 18, 27, 35, 42, 49, 51, 59, 68, 77, 85, 92, 99.
		ओ. बी. सी.	4, 15, 23, 29, 36, 41, 48, 54, 65, 73, 79, 83, 94, 98.
14.	जिला ग्वालियर 19 एस. सी./17 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	2, 7, 12, 17, 23, 28, 33, 38, 44, 49, 53, 57, 62, 67, 73, 78, 83, 88, 95.
		एस. टी.	1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 52, 58, 65, 72, 79, 84, 89, 94, 99.
		ओ. बी. सी.	4, 16, 24, 30, 35, 42, 48, 54, 66, 74, 80, 85, 92, 98.

(1)	(2)	(3)	(4)
15.	जिला शिवपुरी, बिलासपुर, रायसेन, पन्ना 17 एस. सी./19 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	2, 8, 14, 20, 26, 33, 38, 44, 52, 58, 64, 70, 76, 83, 88, 94, 98.
		एस. टी.	1, 7, 13, 19, 25, 27, 32, 37, 42, 47, 51, 57, 63, 69, 75, 77, 82, 87, 92.
		ओ. बी. सी.	3, 15, 23, 29, 35, 41, 48, 54, 65, 73, 79, 85, 93, 99.
16.	जिला भिण्ड, मुरैना, दमोह, छतरपुर 21 एस. सी./15 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	5, 8, 11, 19, 25, 28, 33, 39, 46, 50, 55, 58, 61, 69, 75, 78, 83, 89, 91, 96, 100.
		एस. टी.	1, 14, 24, 30, 36, 43, 49, 51, 57, 64, 74, 80, 86, 93, 99.
		ओ. बी. सी.	4, 15, 23, 29, 35, 42, 48, 54, 65, 73, 79, 85, 92, 98.
17.	जिला सीहोर, टीकमगढ़ 20 एस. सी./16 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	2, 8, 13, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 50, 54, 59, 64, 69, 75, 79, 84, 89, 94, 99.
		एस. टी.	1, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 62, 68, 74, 80, 86, 92, 98.
		ओ. बी. सी.	4, 15, 23, 30, 36, 41, 48, 53, 65, 73, 78, 85, 93, 100.
18.	जिला सिवनी 7 एस. सी./37 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	15, 31, 46, 60, 74, 79, 99.
		एस. टी.	1, 4, 7, 11, 14, 17, 20, 22, 25, 27, 32, 34, 36, 38, 41, 44, 48, 50, 51, 54, 57, 61, 64, 67, 70, 72, 75, 77, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 95, 98.
		ओ. बी. सी.	5, 16, 24, 29, 35, 42, 47, 56, 62, 73, 78, 87, 93, 100.
19.	जिला छिन्दवाड़ा 10 एस. सी./35 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	9, 20, 29, 38, 49, 59, 70, 79, 88, 99.
		एस. टी.	1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 30, 33, 36, 40, 42, 44, 47, 50, 53, 55, 58, 61, 64, 66, 68, 71, 74, 76, 80, 83, 86, 90, 94, 97, 100.
		ओ. बी. सी.	5, 15, 24, 31, 35, 43, 48, 56, 63, 75, 78, 87, 92, 98.
20.	जिला खरगोन, रायगढ़ 10 एस. सी./40 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	10, 20, 30, 40, 50, 60, 69, 80, 90, 100.
		एस. टी.	1, 5, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 29, 32, 34, 37, 39, 41, 44, 46, 49, 51, 55, 57, 59, 62, 64, 67, 70, 72, 74, 77, 79, 82, 84, 87, 89, 91, 94, 96, 99.
		ओ. बी. सी.	4, 15, 23, 31, 35, 42, 47, 54, 63, 73, 78, 88, 93, 98.
21.	जिला बैतूल 10 एस. सी./30 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	10, 19, 29, 39, 50, 60, 69, 79, 89, 100.
		एस. टी.	1, 5, 9, 12, 15, 20, 25, 28, 31, 33, 36, 40, 43, 46, 49, 51, 55, 59, 62, 65, 70, 75, 77, 80, 83, 86, 90, 93, 96, 99.
		ओ. बी. सी.	4, 14, 23, 32, 34, 43, 47, 54, 63, 73, 78, 87, 92, 98.
22.	जिला मण्डला, सरगुजा 5 एस. सी./45 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	20, 40, 60, 79, 99.
		एस. टी.	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 39, 41, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57, 59, 61, 64, 66, 68, 70, 72, 75, 77, 80, 82, 84, 86, 89, 91, 93, 95, 97, 100.
		ओ. बी. सी.	4, 17, 24, 29, 35, 42, 48, 56, 63, 73, 78, 85, 92, 98.

(1)	(2)	(3)	(4)
23.	जिला झाबुआ, बस्तर 3 एस. सी./47 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	33, 67, 100.
		एस. टी.	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 25, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 94, 96, 99.
		ओ. बी. सी.	4, 17, 24, 29, 35, 42, 48, 56, 64, 73, 79, 86, 93, 98.
24.	जिला धार 7 एस. सी./43 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	15, 31, 46, 59, 74, 88, 98.
		एस. टी.	1, 3, 5, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 38, 39, 42, 44, 47, 50, 51, 53, 55, 58, 60, 62, 65, 67, 69, 72, 75, 76, 78, 80, 84, 87, 89, 92, 94, 96, 99.
		ओ. बी. सी.	4, 17, 25, 29, 34, 41, 48, 56, 63, 73, 79, 86, 93, 100.
25.	जिला सीधी 10 एस. सी./34 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	9, 19, 29, 39, 50, 59, 69, 79, 89, 100.
		एस. टी.	1, 4, 7, 10, 13, 16, 20, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 38, 41, 44, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 74, 76, 78, 80, 83, 85, 88, 91, 94, 98.
		ओ. बी. सी.	5, 14, 23, 32, 34, 42, 47, 55, 61, 73, 77, 87, 92, 99.
26.	जिला शहडोल 6 एस. सी./44 एस. टी./ 14 ओ. बी. सी.	एस. सी.	20, 40, 50, 60, 79, 99.
		एस. टी.	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 39, 41, 43, 45, 48, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 66, 69, 71, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 89, 91, 93, 96, 100.
		ओ. बी. सी.	4, 14, 24, 31, 35, 42, 47, 56, 62, 73, 77, 87, 92, 98.

संकेत—

1. एस. सी.—अनुसूचित जाति
2. एस. टी.—अनुसूचित जनजाति
3. ओ. बी. सी.—अन्य पिछड़ा वर्ग

SCHEDULE-IV-A

[See rule 6(a) and (c)]

Half yearly report for the period from 1st January 19. . . . to 30th June 19. . . /1st July to 31st Dec. 19. . .

Name of the Administrative Department/Public Undertaking . . . .

Name of Division/ District . . . .

DIRECT RECRUITMENT

Class of post	Number of vacancies Notified	Total No. of vacancies filled up	Scheduled Castes No. of reserved vacancies			Scheduled Tribes No. of reserved vacancies		
			Notified (out of Col. 2)	Actually filled up (out of Col. 3)	Caarried forward to next year	notified (out of Col. 2)	Actually filled up (out of Col. 3)	caarried forward to next year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Class—I								
Class—II								
Class—III								
Class—IV								

Class of post	Other Backward Classes No. of reserved vacancies			Remarks (reasons for shortfall if any).
	Notified (out of Col. 2)	Actually filled up (out of Col. 3)	caarried forward to next year	
	(10)	(11)	(12)	(13)
Class—I				
Class—II				
Class—III				
Class—IV				

SCHEDULE-IV—B

[See rule 6(B) and (C)]

1. Name of Deptt.. . . . .
2. Name of Office and Address . . . .
3. Name of appointing authority . . . . and designation

Half yearly report of the period from. . . . . .

1. 1st January 199. . . . . . . to 30th June 199 ...
2. 1st July, 199 . . . . to 31st Dec. 199. . .

PROMOTION

Class of Post	Total No. of vacancies arise in the year plus previous years backlog	Total No of vacancies filled up	Scheduled Caste		Scheduled Tribes	
			No. of vacancies reserved out of Col. (2)	No. of vacancies filled up out of Col. (4)	No. of vacancies reserved out of Col. (2)	No. of vacancies filled up out of Col. (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Class—I						
Class—II						
Class—III						
Class—IV						

Class of post	No. of vacancies carry forward		Reasons for shortfall if any
	Scheduled Castes	Scheduled Tribes	
	(8)	(9)	(10)
Class—I			
Class—II			
Class—III			
Class—IV			

Signature and Designation of appointing authority
Tel. No.
Place . . . . .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
P. C. MEENA, Addl. Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1998.